संख्या:58/2017/2525जेएल/22-3-17-100(92)/2017

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 26 सितम्बर, 2017***

विषय: जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध विचाराधीन बंदी राजकुमार पुत्र श्री श्याम लाल जायसवाल, निवासी जनपद-रायबरेली के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या-3, मीरजापुर के पत्र दिनांक 25-08-2017 के किये गये अनुरोध के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध विचाराधीन बंदी राजकुमार पुत्र श्री श्याम लाल जायसवाल, निवासी जनपद-रायबरेली को **जिला कारागार, मीरजापुर स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि बंदी के विरूद्ध विशेष सत्र परीक्षण संख्या-31/2016-राज्य बनाम राजकुमार मु0अ0सं0-835/2013 अंतर्गत धारा-8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का विचारण पूर्ण होने के उपरान्त बंदी को पुन: जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या:58/2017/2525जेएल(1)/22-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या-3, मीरजापुर को उनके पत्र दिनांक 25-08-2017 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली।
4. जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. अधीक्षक, जिला कारागार, रायबरेली/मीरजापुर।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारयण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in